<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u>

लेखा विभाग मुख्यालय

संदर्भ : लेखा /3:**13** दिनांक : 26 नवम्बर 2019

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम 1988:पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार का दौरा करने के लिए हवाई यात्रा करने की छूट–. स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/3/2018-Estt.(A-IV) दिनांकित 20 जून 2019 आवश्यक जानकारी एवं कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

हस्ता/-.

(एन रवि शंकर)

निदेशक(लेखा)

इंट्रानेट के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण को परिचालित

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(ACCOUNTS DEPARTMENT:HQ)

Ref: Accts/3:13 ***26 November 2019***

Subject: Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 – Relaxation to travel by air to visit North East Region, Jammu & Kashmir and Andeman & Nikobar – clarification reg.

The Office Memorandum No. 31011/3/2018-Estt.A-IV dated 20.06.2019 issued by Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, DoPT on the above subject is enclosed for information and necessary action.

sd/-

(N. Ravi Shankar)
Director (Accounts)

Circulated through BIS Intranet to all Officers & Staff of BIS

Copy to: ITSD: for hosting on Intranet

No. 31011/3/2018-Estt.(A-IV)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment A-IV Desk
***

North Block, New Delhi-110 001
Dated: June 20, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 — Relaxation to travel by air to visit North East Region, Jammu & Kashmir and Andaman & Nicobar – clarification reg.**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even no. dated 20.09.2018 regarding the relaxation to travel by air on LTC to visit North-East Region (NER), Jammu & Kashmir (J&K) and Andaman & Nicobar Islands (A&N) and to say that as per para 2(v) of the aforesaid O.M., Government employees non-entitled to travel by air are allowed air travel in Economy class subject to maximum fare limit of LTC-80 fare in the following sectors:

(a) Between Kolkata/Guwahati and any place in NER.
(b) Between Kolkata/Chennai/Visakhapatnam and Port Blair.
(c) Between Delhi/Amritsar and any place in J&K.

Journey for these non-entitled employees from their Headquarters up to Kolkata/ Guwahati/ Chennai/ Visakhapatnam/ Delhi/ Amritsar is to be undertaken as per their entitlement.

2. In this regard, several references/RTI applications are received in this Department seeking clarification regarding settlement of LTC claims where a non-entitled Government employee directly travels by air from his Headquarters to the destination in North-East Region (NER), Jammu & Kashmir (J&K) and Andaman & Nicobar Islands (A&N) as opposed to their entitlement.

3. The matter has been examined in this Department in consultation with Department of Expenditure. It has been decided that cases of direct air travel by a non-entitled Government employee on LTC from his Headquarters to the place of visit in NER/J&K/ A&N under the special dispensation scheme, may be regulated as per their rail and air entitlement allowed under the special dispensation scheme of travel by air as under:

> "Entitled class rail fare from the Headquarters/place of posting to the nearest relevant railhead (i.e. Kolkata/Guwahati/Delhi/Amritsar/Chennai/ Visakhapatnam) based on the place of visit (in NER/J&K/A&N) + LTC-80 Economy class air fare from the same railhead to the place of visit in NER/J&K/A&N; **or** the actual air fare from the Headquarters to the place of visit, whichever is less."

4. In their application to the staff serving in the Indian Audit and Accounts Department, this order issues after consultation with Comptroller & Auditor General of India.

(signature) 20.6.19
(Surya Narayan Jha)
Under Secretary to the Govt. of India

To
The Secretaries
All Ministries/ Departments of the Government of India.
(As per the standard list)

contd...2/-

From pre-page:

Copy to:

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
5. Parliament Library, New Delhi.
6. All Union Territory Administrations.
7. Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat.
8. All Attached and Subordinate Offices of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions.
9. Hindi Section for Hindi version.

सं.31011/3/2018-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 20जून, 2019

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम,1988- हवाई यात्रा द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण में छूट- के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के हवाई यात्रा द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर (जे ऐंड के) और अंडमान और निकोबार (ए ऐंड एन) के एलटीसी भ्रमण में छूट से संबंधित दिनांक 20.09.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(IV) के अनुसार हवाई यात्रा के गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी-80 किराया की अधिकतम किराया सीमा के अध्यधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा की अनुमति है :-

(क) कोलकाता/गुवाहटी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में किसी स्थान के बीच।
(ख) कोलकाता/चेन्नई/विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच।
(ग) दिल्ली/अमृतसर तथा जम्मू और कश्मीर में किसी स्थान के बीच।

इन गैर-हकदार कर्मचारियों की उनके मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहटी/चेन्नई/विशाखापत्तनम/दिल्ली/अमृतसर तक की यात्रा उनकी हकदारी के अनुसार की जाएगी।

2. इस संबंध में, इस विभाग में अनेक पत्र/आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं जिनमें उन एलटीसी दावों के समाधान के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं जिनमें कोई गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी अपनी हकदारी के विपरीत अपने मुख्यालय से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर (जे ऐंड के) और अंडमान और निकोबार (ए ऐंड एन) में किसी गंतव्य की सीधी हवाई यात्रा करता है।

3. व्यय विभाग के परामर्श से इस विभाग में इस मामले की समीक्षा की गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि विशेष सुविधा स्कीम के अंतर्गत किसी गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने मुख्यालय से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर)/जम्मू और कश्मीर (जे ऐंड के)/अंडमान और निकोबार (ए ऐंड एन) में किसी गंतव्य की सीधी हवाई यात्रा किए जाने के मामले हवाई यात्रा की विशेष सुविधा स्कीम के अंतर्गत उनकी रेल और हवाई यात्रा हकदारी के अनुसार निम्नवत विनियमित किए जाए :-

> "भ्रमण के स्थान (एनईआर/जे ऐंड के/ए ऐंड एन) के आधार पर मुख्यालय/तैनाती के स्थान से सबसे निकट संगत रेलवे स्टेशन (अर्थात् कोलकाता/गुवाहटी/चेन्नई/विशाखापत्तनम/दिल्ली/अमृतसर) तक अधिकृत श्रेणी का रेल किराया + समान रेलवे स्टेशन से भ्रमण के स्थान तक एलटीसी-80 इकोनॉमी श्रेणी हवाई किराया; अथवा मुख्यालय से भ्रमण के स्थान तक वास्तविक हवाई किराया, जो भी कम हो।"

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

20.6.19

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

जारी...2/-

प्रति प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।